

Proposed Fees of Govt. Engineering College Jaipur B.Tech. First Year (I Sem & II Sem)

Class/Course		B.Tech. (I Semester) I Year	
		Admission Category	
		General/OBC/SBC	SC/ST/Girls Rajasthan
1.	Tuition Fee	7500	7500
2.	College Development Fee	7500	1600
3.	Exam Fee	1600	100
4.	Insurance Fee	100	2500
5.	RTU Dev. Fee	2500	5000
6.	Caution Money (One Time)	5000	100
7.	Admission Fee	100	
8.	Other Fees		1500/-
(i)	Student Welfare Fund	1500/-	As per University
(ii)	University Enrollment Fee*	As per University	As per University
Total Fees Sem. wise		25800	18300

Class/Course		B.Tech. (II Semester) I Year	
		Admission Category	
		General/OBC/SBC	SC/ST/Girls Rajasthan
1.	Tuition Fee	7500	7500
2.	College Development Fee	7500	1600
3.	Exam Fee	1600	9100
Total Fee Sem. wise		16600	

Alumni fee :- will be taken in final year in B.Tech.
Degree fee:- will be taken as per university.

- * Insurance Fee:- Applicable as per Govt. Norms
** Hostel Fee & Caution money will be added for Hosteller.
*** As per C.A. Report, there is no requirement to collect GST on College Fees. (C.A. Report Attached)

नियम:-

- यह शुल्क संरचना अस्थायी है और समय-समय पर राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार परिवर्तन के अधीन है।
- प्रवेश के समय विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क राशि रु. 350/- आरबीएसई, रु. 500/- सीबीएसई एवं अन्य बोर्ड के लिये रु. 700/- लिया जायेगा जो कि विश्वविद्यालय के अनुसार समय समय पर परिवर्तनशील रहेगा।
- विश्वविद्यालय के नियम/आदेश परीक्षा सम्बन्धी कार्य के लिए लागू होंगे।
- प्रवेश शुल्क व शिक्षण शुल्क नियमानुसार राजकीय मद में जमा होंगे।
- कोशन मनी पाठ्यक्रम समाप्त होने के पश्चात विद्यार्थियों को नियमानुसार निर्धारित अवधि लौटा दी जायेगी।
- विकास शुल्क का उपयोग कम्प्यूटर हार्डवेयर क्रय/साफ्टवेयर क्रय/लैब. विकास, समस्त प्रकार की मरम्मत व रखरखाव एवं क्रमोन्वयन में प्राचार्य के अनुमोदन से किया जायेगा।
- Student Welfare Fund का उपयोग विद्यार्थियों सम्बन्धित कार्यशाला/मीटिंग/सेमीनार/चिकित्सा सहायता एवं छात्रों की अन्य आवश्यकतानुसार जरूरतों को पूरा करने के लिये प्राचार्य के अनुमोदन से किया जायेगा।
- फीस के सम्बन्ध में राज्य सरकार/वित्त विभाग द्वारा जारी नियम/परिपत्र लागू होंगे तथा फीस राशि की प्राप्ति, रोकड़ पुस्तिका का संधारण व अन्य लेखा रिकार्ड का संधारण व खर्च का रोकड़ पुस्तिका में प्रविष्टि व मिलान का कार्य GF&AR के नियमानुसार किया जायेगा।
- समस्त उपापन सम्बन्धी कार्य राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार किये जायेगे।

(Dr. Ravi Gupta)

Jaipur, Govt. Engineering College, Jaipur

(Kailash Chand Nadola)

Sr. Accounts Officer

(Alok Bansal)

Director Technical Education